जीसीएमएस संख्या		किस्म मुकदमा

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
05/8/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 2 को लम्बन रजि. डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश करने का अवसर चाहते हैं, अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 12/8/24 को वास्ते बहस पेश हो।	
12/8/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। वकील प्रार्थी से प्र० पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ख. नं. 124/1.8373है. मौजा प्रतापगढ़ में पूर्व की तरफ एक सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है जो सड़क मार्ग कट्टाणा मार्ग ख.नं. 168/1 से हटकर प्रार्थी की आराजी ख. नं. 124 में से सड़क का निर्माण किया जा रहा है उक्त खसरे का राजस्व नक्शे में सीधा मार्ग प्रदर्शित हो रहा है परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की आराजी में करीब 150 फिट अन्दर घुमाव कर प्रार्थी की पक्की माठ को तोड़ते हुए निर्माण करवाया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना स्वाभाविक है। अतः विपक्षी को दौराने ... निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ताकि ... अपनी आराजी की पैमाइश करवाकर ... के नक्शा ... हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया।	(Adv mukesh singh)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 10:30:28 IST
Reason: SelfAttested

जीसीएमएस सख्या

किस्म मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
	पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया है सड़क निर्माण के वक्त मौके पर विवाद की स्थिति होने पर तहसीलदार, गुड़ामालानी से राजस्व टीम के माध्यम से कट्टाण मार्ग ख.सं. 168), की पैमाईश कार्रवाई गई। जिसमें संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व टीम द्वारा कट्टाण मार्ग की पैमाईश कर मौके पर निशान लगाए गए/ राजस्व टीम द्वारा लगाए गए निशान पर ही मौके पर सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है/ लिहाजा उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया/ मौका रिपोर्ट अनुसार नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में राजस्व टीम एवं थानाधिकारी गुड़ामालानी की उपस्थिति में उक्त खसरे की पैमाइश की जाकर निशान लगाए गए तथा मौके पर रास्ता चालू करवाया गया। जिससे प्रकरण में कट्टाण मार्ग से हटकर निर्माण का कोई [illegible] है/ तथा सड़क निर्माण कार्य [illegible] मार्ग पर ही किया जा रहा [illegible] है लिहाजा न्यायालय अस्थायी [illegible] निषेधाज्ञा में पाबंद किया जाना उचित नहीं समझती है। अतः प्रार्थना-पत्र वास्ते निषेधाज्ञा (72) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमित कुमार पेश हो मूल वाद के नत्थी हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 10:30:28 IST
Reason: SelfAttested